भारत सरकार

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः †2723

उत्तर देने की तारीख 11 दिसम्बर, 2024 (बुधवार)

20 अग्रहायण, 1946 (शक)

प्रश्न

उत्तर पूर्व के राज्यों में सहकारी संघ

†2723. श्री दिलीप शइकीयाः

क्या **उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के उत्तर पूर्व के सभी राज्यों में सहकारी संघ की भावना को बढ़ावा देने के लिए सरकार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) असंगठित श्रमिकों/प्रवासी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और बीओसी कामगारों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के लिए योजना/नीति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) देश में, सभी पूर्वोत्तर राज्यों सहित, सहकारी संघ की भावना को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार की स्कीमों में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां (पीएसीएस)/प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियां और प्राथमिक मात्स्यिकी सहकारी समितियां शामिल हैं। इसके अलावा, इन सहकारी समितियों को संबंधित राज्य सहकारी संघों और राष्ट्रीय सहकारी संघों से संबद्ध किया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकार प्राथमिक सहकारी समितियों को राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड जैसी राष्ट्रीय सहकारी समितियों की सदस्यता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है ताकि सहकारी संघ के लाभ राज्यों में प्राथमिक सहकारी समितियों के सदस्यों तक पहुंच सकें। पीएसीएस का कम्प्यूटरीकरण और पंजीकृत सहकारी समिति (आरसीएस) कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण भारत सरकार की दो नई स्कीमें हैं जिनका कार्यान्वयन राज्यों द्वारा किया जाता है।

(ख) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने प्रवासी कामगारों के कल्याण और बीओसी कामगारों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश/एसओपी/एडवाइज़री जारी की है, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया हैः-

मंत्रालय ने ई-श्रम के यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) के साथ बीओसी श्रमिकों की मैपिंग के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भवन और अन्य निर्माण (बीओसी) श्रमिकों को दिए जाने वाले सामाजिक सुरक्षा लाभों के संबंध में संशोधन/परिशिष्ट जारी किया है ताकि एक राज्य से दूसरे राज्य में उनके प्रवास के मामले में उन्हें मिलने वाले लाभों की पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित की जा सके। एडवाइज़री में यह भी कहा गया है कि बीओसी श्रमिकों के प्रवासी श्रमिक होने की स्थिति में गंतव्य राज्यों और स्रोत राज्यों के राज्य कल्याण बोर्ड लाभों की पोर्टेबिलिटी और प्रवासी श्रमिकों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए एक-दूसरे के साथ और संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय करेंगे।

असंगठित श्रमिकों/प्रवासी मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और बीओसी श्रमिकों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के लिए लागू की जा रही स्कीमें/नीति हैं - (i) श्रम और रोजगार सांख्यिकीय प्रणाली (एलईएसएस) (ii) श्रम कल्याण योजना (एलडब्ल्यूएस)-स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास, (iii) ई-श्रम पोर्टल [असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू)], (iv) प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएम-एसवाईएमवाई), (v) पीएम-कर्म योगी योजना (पीएम-केवाईवाई), (vi) राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) और (vii) व्यापारियों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस)।

*****